कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर रतलाम संभाग रतलाम

गीतामंदिर रोड रतलाम

क्रमांक/ उपा /सा.उ./वाक/2/लेख/2015/ रतलाम दिनांक,

// निविदा//

राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को वसूली अभियान हेतु वाहन किराये पर लेने हेतु आदेंश क्रमांक एफ 2-08 / 2015/ 1/ पांच भोपाल, दिनांक 11.06.2015 एवं मुख्यालय के ज्ञाप क्रमांक / वाक /8 / स्टोर्स् 2015 41 दिनांक 24.06.2015 से स्वीकृति प्रदान की गई है. जिसके अनुक्रम में संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम संभाग तथा अधिनस्थ कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी रतलाम वृत्त-1 / 2 , जावरा वृत्त , मन्दसौर वृत्त , नीमच वृत्त , धार वृत्त , झाबुआ वृत्त, पीथमपुर वृत्त के लिये 31- मार्च 2016 तक 4 (चार पहिया वाहन "टेक्सी") किराये पर लिये जाने एवं क्रमांक / वाक / 15-16 / 8/ स्टोर /34 इन्दौर दिनांक 12-06-15 एवं ज्ञाप क्रमांक /वाक 8/ स्टोर्स् /2015 49 दिनांक 13.11.2014 के अनुसार 2 (चार पहिया वाहन "टेक्सी") एव मुख्यालय के पत्र क्रमांक / वाक/ 8/ स्टोर / 2015 आईटीआर यूनिट रतलाम हेतु 1 (चार पहिया वाहन "टेक्सी") के लिये निम्न शर्तो के अधीन निविदाए दिनांक 07-10-2015 को दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है. डाक से प्राप्त होने वाली निविदाएँ भी दिनांक 07-10-2015 मे मान्य की जावेगी . निविदाएँ दिनांक 07-10-2015 को दोपहर 4.00 बजे खोली जावेगी.

निविदा से संबंधित शर्तो का अवलोकन कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर रतलाम संभााग रतलाम में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर कर सकते है. निविदा की प्रति प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क रुपये 100=00 जमा कराकर निविदा की प्रति प्राप्त कर सकते है. उक्त हमारे विभाग की बेबसाईट पर भी उपलब्ध है .

23/9/15

संभागीय उपायुक्त
वाणिज्यिक कर रतलाम संभाग
रतलाम

निविदा की शर्तें–

1. वाहन मालिक/संस्था सर्विस टैक्स देने की पात्रता रखता हो तथा वाहन मालिक/संस्था का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीयन (पन्द्रह डिजिट का कोड नं.) होना अनिवार्य हैं ।
2. वाहन मॉडल 2013 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए । यदि नया वाह क्रय कर प्रदाय किया जाता हैं तो तद्नुसार घोषणा पत्र संलग्न करें । वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए एवं उसे क्षैत्रिय परिवहन कार्यालय में टेक्सी कोटे में पंजीयत होना चाहिए ।
3. वाहन डीजल एवं ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा ।
4. वाहन एजेन्सी पर देय समस्त शासकीय/अन्य करों आदि के नियमानुसार भुगतान का व्यय वाहन किराए पर देने वाली एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा । भुगतान योग्य आयकर का स्त्रोत पर कटोत्रा किया जाएगा । सेवाकर भुगतान संस्था द्वारा किया जाएगा ।
5. मासिक किराये के तहत वाहन का उपयोग प्रतिमाह 1000 कि.मी. होगा। किसी माह में प्रवास की स्थिति में 1000 कि.मी. से अधिक उपयोग पर प्रति किलोमीटर किराये की दर पृथक से देय होगी ।
6. आवेदन में मासिक दर समस्त करों सहित दर्शाया जाय । इसके अतिरिक्त प्रतिदिन का जिले के बाहर प्रवास हेतु दरें भी पृथक से दर्शाई जाए ।
7. वाहन किराये पर देने ववाली एजेंसी द्वारा सम्पूर्ण माह के लिये (अवकाश दिवसों सहित) निरंतर वाहन, वाहन चालक सहित किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा । यदि किसी दिन वाहन उपलब्ध नही हुआ तो प्रत्येक दिवस के लिए रूपये ––––––(अक्षरी रूपये–––––) के मान से भुगतान में कटौती की जाएगी –

   1. यदि किसी दिवस लगातार 12 घण्टे से ज्यादा सेवा लोकल में ली जाती है तो 100/– प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त पृथक से देय होगा ।

   2. यदि 12 घण्टे से ज्यादा के साथ रात्रि विश्राम वाहन चालक द्वारा किया जाता हैं तो रूपये 50/– विराम भत्ता प्रतिदिन की दर से देय होगा ।
8. वाहन किराये पर लेने की अवधि आवश्यकतानुसार कम अथवा अधिक की जा सकती हैं, जिसकी सूचना पूर्व में दी जाएगी । दोनों पक्षो की आपसी सहिमति से मूल निविदा, पुरानी शर्तो के साथ अधिकतम दो बार बढाई जा सकती हैं ।
9. वाहन की टूट –फूट होने पर रिपयरिंग का खर्च, नियमित रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन मालिक को करना होगा । खराब होनेकी स्थिति में अन्य वाहन (अच्छी हालत में) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । यदि तीन दिवस तक लगातार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो उक्त वाहन की निविदा निरस्त की जा सकेगी ।
10. रूपये 100/– के स्टाम्प पर निविदाकर्ता द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि समस्त शर्ते उन्हें मान्य हैं ।
11. रूपये 10000/– की अर्नेस्ट मनी डिमांड ड्राफट के रूप में जो 1 अप्रेल–2015 से पूर्व की न हो व आयुक्त वाणिज्यिक कर के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ नियमानुसार सीलबंद 2 लिफाफा संलग्न करना होगा ।

    अ. अर्नेस्ट मनी का लिफाफा जिस अर्नेस्ट मनी मय सह पत्रों के लिखा हो ।

    ब. सीलबंद निविदा लिफाफा

    प्रथम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोडकर शेष की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जाएगी ।
12. निविदा को मान्य/अमान्य स्थिगित करने या वाहनों की संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा । निविदा निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकर्ताओं को अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी । सर्वप्रथम

(अ) लिफाफा को खोलकर शर्ते पूर्ण करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार की जाएगी । जिन संस्थाओं द्वारा शर्ते पूर्ण नहीं की जा सकेगी उनका (ब) लिफाफा नहीं खोला जाएगा ।
तैयार की गई सूची के निविदादारों को न्यूनतम दरों के आधार पर प्रथम/द्वितीय सफल निविदाकार घोषित किया जाएगा ।

13. निविदा स्वीकार होने पर वाहन 3 दिवस में उपलब्ध कराना होगा तथा निर्धारित प्रारूप में जानकारी (वाहन तथा वाहन चालक की) संबंधित एजेंसी को अधोहस्ताक्षरार्थ , को देना होगी।वाहन विभाग की अभिरक्षा में रहेगा ।

निविदाऍं कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर , हुसैनी काम्पलेक्स मित्र निवास रोड रतलाम के पते पर डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत की जा सकती हैं ।

संभागीय उपायुक्त
वाणिज्यिक कर, रतलाम संभाग,
रतलाम